

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 229

No. 237]

DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

[N.C.T.D. No. 229

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सं. फा. 21/67/प्रशि. प्रशा./2006/850.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना संख्या फा. 21/67/प्रशि0 प्रशा0/2006/336/2134 द्वारा अधिसूचित शिल्प प्रशिक्षक, प्रशिक्षक (चित्रकला), प्रशिक्षक (मिलराईट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलैक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ) के पदों से संबंधित भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में शिल्प प्रशिक्षक, प्रशिक्षक (चित्रकला), प्रशिक्षक (मिलराईट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलैक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को शिल्प प्रशिक्षक, प्रशिक्षक (चित्रकला), प्रशिक्षक (मिलराईट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलैक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ) भर्ती नियमावली 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे / संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की भाक्ति :-**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।6. **बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	शिल्प प्रशिक्षक, प्रशिक्षक (चित्रकला), प्रशिक्षक (मिलराईट), अनुरक्षण मैकेनिक, अनुरक्षण इलैक्ट्रीशियन, तकनीकी सहायक (कनिष्ठ)
2.	पदों की संख्या	:	* 775 (2016) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	'ख' वर्ग, सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	पे बैंड -2 93,00-34,800 रुपये जमा ग्रेड पे 4200 रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप:- 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के मामलों में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी। टीप :- 2. आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य शिल्प प्रशिक्षक, प्रशिक्षक (चित्रकला) हेतु (अभियांत्रिकी/गैर-अभियांत्रिकी ट्रेड के लिए):- भौक्षणिक:- मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से विज्ञान एवं अंकगणित के साथ

	<p>10+2 प्रणाली के अन्तर्गत दसवीं उत्तीर्ण।</p> <p>तकनीकी:-</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय डिग्री तथा</p> <p>(2) अपेक्षित योग्यतायें प्राप्त करने के पश्चात संबंधित औद्योगिक इकाई/संगठन में शिक्षण/कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से संबंधित ट्रेड की उपयुक्त शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा</p> <p>(2) अपेक्षित योग्यतायें प्राप्त करने के पश्चात संबंधित औद्योगिक इकाई/संगठन में शिक्षण/कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>(1) शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र सहित (उन ट्रेडों के लिए जहां शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम उपलब्ध है)। मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र (एनटीसी /एसटीसी) या राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र (एनएसी) तथा</p> <p>(2) अपेक्षित योग्यतायें प्राप्त करने के पश्चात संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक इकाई/संगठन में शिक्षण/कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>प्रशिक्षक (मिलराईट), अनुरक्षण मैकेनिक, तकनीकी सहायक (कनिश्ठ) हेतु</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड/संस्थान से मैकेनिकल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा</p> <p>(2) अपेक्षित योग्यतायें प्राप्त करने के पश्चात संबंधित औद्योगिक इकाई/संगठन में शिक्षण/कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>अनुरक्षण इलैक्ट्रीशियन हेतु:-</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/ संस्थान से इलैक्ट्रीकल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा</p> <p>(2) अपेक्षित योग्यतायें प्राप्त करने के पश्चात संबंधित औद्योगिक इकाई/संगठन में शिक्षण/कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>नोट:-(1) डिग्री/डिप्लोमा धारकों को सीआईटीएस प्रशिक्षण का केवल दूसरा समेस्टर करना होगा, यदि उन्होंने नियुक्ति के पश्चात तीन वर्षों के भीतर प्रथम समेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है।</p> <p>नोट:-(2) कुल पदों का 50 प्रतिशत (ट्रेड-अनुसार) राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (सीआईटीएस) सहित राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र (एनटीसी/एसटीसी) या राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र (एनएसी) जैसी व्यवसायिक योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों में से तथा 50 प्रतिशत (ट्रेड-अनुसार) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड /संस्थान से संबंधित ट्रेड की उपयुक्त शाखा में डिग्री/डिप्लोमा जैसी व्यवसायिक योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों में से भरे जाएंगे।</p> <p>नोट:-3. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>नोट:-4. यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम अधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त</p>
--	--

			पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी?	:	आयु: नहीं योग्यता: हां, कॉलम संख्या 11 में निर्दिष्ट सीमा तक।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 5 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	:	पदोन्नति:- पे बैंड-1, 5200-20200 रूपये, ग्रेड पे 1900 रूपये सहित ग्रेड में 18 वर्षों की नियमित सेवा वाले प्रशिक्षण विंग के विभागीय कर्मशाला परिचर तथा कम से कम निम्नलिखित योग्यता रखने वाले:- भौक्षणिक:- मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से दसवीं उत्तीर्ण। तकनीकी:- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड/संस्थान से संबंधित ट्रेड की उपयुक्त शाखा में अभियांत्रिक/प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र। टीप 1:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं तो उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप 2:- पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	<u>'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर विचारार्थ):</u> 1. सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) - सदस्य

		3. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, निदेशक (टी.टी.ई.)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 15th November, 2016

F. No. 21 /67 /TRG.ADMN /2006/850.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules relating to the posts of **Craft Instructor, Instructor (Drawing), Instructor (Millwright), Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician, Technical Assistant (Junior)** published vide Notification F. No. 21 /67 /TRG.ADMN /2006/336/2134 dated the 24th April 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi after consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment to the post of **Craft Instructor, Instructor (Drawing), Instructor (Millwright), Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician, Technical Assistant (Junior)** in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the **Craft Instructor, Instructor (Drawing), Instructor (Millwright), Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician, Technical Assistant (Junior),** Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, its classification and pay band and grade pay / scale of pay.**- The number of said post, its classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.**- No Person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the appointment to the said post:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to Relax.**- Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex –Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale.	Whether selection or non-selection post.
1	2	3	4	5
Craft Instructor, Instructor (Drawing), Instructor (Millwright), Maintenance Mechanic, Maintenance Electrician, Technical Assistant (Junior)	775* (2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group – “B”, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB –2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200/-	Selection.

Age limits for direct Recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
6	7	8	9
<p>Not exceeding 30 Years</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)</p> <p>Note 1: The age limit for direct recruitment will be relaxable in case of Scheduled Castes /Scheduled Tribes /Other Backward Classes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,</p>	<p>Essential</p> <p>For Craft Instructor/ Instructor (Drawing) (For-Engg. / Non-Engg. Trades) :-</p> <p>Academic :-</p> <p>10th pass with Science and Mathematics under 10+2 system from recognized School/Board.</p> <p>Technical :-</p> <p>(i) Four year Degree in Engineering / Technology from a recognized University/Institution and</p> <p>(ii) One year experience in teaching / working in a relevant industrial unit/organization after acquiring the requisite qualification.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(i) Three years’ Diploma in appropriate branch of trade concerned from a recognized University/ Board/ Institution and</p> <p>(ii)Two years’ experience in teaching / working in a relevant industrial unit/organization after acquiring the requisite qualification.</p>	<p>Age: No;</p> <p>Qualification: Yes, to the extent indicated in column No. 11.</p>	Two Years.

<p>Arunachal Pradash, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahul & Spiti Distt. And Pangi Sub-Division of Chamba Distt of Himachal Pradash, Andaman & Nikobar and Island of Lakshadweep).</p>	<p style="text-align: center;">OR</p> <p>(i) National / State Trade Certificate (NTC / STC) or National Apprenticeship Certificate (NAC) in the relevant trade from a recognized Institution with Craft Instructor Training Certificate (for those trades where courses under Crafts Instructor Training Courses are available) and</p> <p>(ii) Three years' experience in teaching / working in a relevant industrial unit/organization in relevant field after acquiring the requisite qualification.</p> <p>For Instructor (Millwright)/ Maintenance Mechanic/ Technical Assistant (Junior):</p> <p>(i) Three years' Diploma in Mechanical Engg. from a recognized University/ Board/ Institution and</p> <p>(ii) Two years' experience in teaching / working in a relevant industrial unit/organization after acquiring the requisite qualification.</p> <p>For Maintenance Electrician:</p> <p>(i) Three years' Diploma in Electrical Engg. from a recognized University/ Board/ Institution and</p> <p>(ii) Two years experience in teaching / working in a relevant industrial unit/organization after acquiring the requisite qualification.</p> <p>Note 1: Degree /Diploma holders will have to undergo only Second Semester of CITS Training, if they pass the direct test of first semester, within three years of appointment.</p> <p>Note 2: 50% of the total posts (Trade Wise) will be filled up by the persons holding the professional qualification as National / State Trade Certificate (NTC/ STC) or National Apprenticeship Certificate (NAC) with National Craft Instructor Training Certificate (CITS) and 50% with the persons holding the professional qualification as Degree / Diploma in appropriate branch of trade concerned from a recognized University/ Board/ Institution.</p> <p>Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 4: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled caste or scheduled tribes if any at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
---	---	--	--

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
10	11	12	13
95% by direct recruitment, 5% by promotion.	<p>Promotion :</p> <p>The Departmental Workshop Attendant of Training Wing working in the Pay Band – 1, Rs. 5200 to 20200/- with Grade Pay of Rs. 1900/- with 18 years of regular service in the grade and who possess atleast the following qualification:</p> <p>(i) Academic: Matriculation from a recognized Board /University.</p> <p>(ii) Technical: Three years Diploma in Engineering / Technology in appropriate branch of trade concerned from a recognized University/ Board/ Institution.</p> <p>OR</p> <p>National /State Trade Certificate/ National Apprenticeship Certificate from a recognised Institute</p> <p>NOTE 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.</p> <p>NOTE 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay /pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Department of Training and Technical Education, GNCT of Delhi – Chairman 2. Director (Training and Technical Education), – Member 3. Administrative Officer, GNCT of Delhi – Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Director (TTE)